17.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्र० पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिफाफा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरमीम तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिफाफा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया बजाज)
RAS